

**Comprehensive Financial Management System, Government of Bihar
Urban Development & Housing Department, Vikash Bhavan, New
Secretariat, PATNA, Bihar,**

Urban Development and Housing Department

Telephone: ,

Grant-In Aid

File Number : 2B/Sadak-09-04/2018

Date : 17/07/2018

Order Number : 2856

Stakeholder Code : URB1010000

Subject: Allotment of Rs.59.69900 Lakh in FY 2018-19 under Scheme.

Reference Number : Sanction order No. 14 Dated-30/06/2018

Preamble :

Sanction is hereby accorded for expenditure of

Head of Account Detail:-

Demand Number: 48- Urban Development and Housing Department

Major Head: 2217- Urban Development

Sub-Major Head: 01- STATE CAPITAL DEVELOPMENT

Minor Head: 191- ASSISTANCE TO LOCAL BODIES CORPORATION

Sub Head: 0109 - NA

Head of Account: 48-2217011910109

Total Budget Provision - 14,00,00,000

Allotment before this Allotment - 0

Present Allotment Amount - 59,69,900

Allottee/Sub-Allottee Office - Urban Development & Housing Department

Purpose - Construction of Road and Drain

Financial Year - 2018-2019

Amount - Rs. 59,69,900- Fifty-Nine Lac Sixty-Nine Thousand Nine Hundred

Recipient/s- Refer Annexure-I for Recipient Details

DDO Designation Authorized to draw the amount- Municipal commissioner, Municipal corporation, Patna

File Number : 2B/Sadak-09-04/2018

Order Number : 2856

Date : 17/07/2018

Additional text- Expenditure of allotted amount will be as per the provisions mentioned in the sanction order No. 14 Dated- 30/06/2018

The sanction has been issued as per approval obtained from Principal Secretary

Vide File Number 2B/Sadak-09-04/2018 Dated 30/06/2018

Copy Forwarded To -

1. AG, Bihar
2. Finance department (Budget Section), Bihar
3. Planning department, Bihar
4. Divisional commissioner, Patna division, patna/ District magistrate, Patna/ Municipal commissioner, Patna Municipal corporation/ Related Treasury officer
5. Local Account examiner, Bihar

Annexure - I

Head of Account: 48-2217-01-191-0109-NA
Allottee/Sub Allottee Code: PTCURB005
Allottee/Sub Allottee designation: MUNICIPAL COMMISSIONER P.M.C PATNA

Allotment ID	Object Head	Allotted Amount
92667	31-05-Subsidiary grant-in-construction of	59,69,900
Total:		59,69,900

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-30/06/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पथ एवं नाला निर्माण संबंधित कुल 02 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ₹59.69900 लाख (उनसठ लाख उनहत्तर हजार नौ सौ रु०) मात्र नागरिक सुविधा मद से सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना के पत्रांक- 8688, दिनांक- 05.09.2017 एवं पत्रांक- 2894, दिनांक- 16.09.2018 द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में वर्णित पथ एवं नाला निर्माण संबंधित कुल 02 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ₹59.69900 लाख (उनसठ लाख उनहत्तर हजार नौ सौ रु०) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में वर्णित योजनाओं को स्तम्भ- 5 में वर्णित राशि के अनुरूप कुल ₹59.69900 लाख (उनसठ लाख उनहत्तर हजार नौ सौ रु०) मात्र की स्वीकृति नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	नगर निगम, पटना	वार्ड सं०- 10 अन्तर्गत पटना खगौल रोड स्थित पहाड़पुर मोड़ से होते हुए माननीय न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय श्रीमती नीलू अग्रवाल का आवास साईं निलियम अपार्टमेंट पुलिस कॉलोनी स्थित सम्प हाउस तक क्षतिग्रस्त सड़क का जीर्णोद्धार के तहत पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	19.99100	19.99100
2		वार्ड सं०- 28 अन्तर्गत राजेन्द्र पथ दुर्गा मंदिर गली में आर०सी०सी० नाला एवं मुख्य पथ आर० के० अग्रवाल के घर से भट्टाचार्या पथ तक भूगर्भ नाला एवं नाला के उपर पी०सी०सी० सड़क निर्माण का कार्य।	39.70800	39.70800
योग			59.69900	59.69900

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹59.69900 लाख (उनसठ लाख उनहत्तर हजार नौ सौ रु०)

मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत ₹59.69900 लाख (उनसठ लाख उनहत्तर हजार नौ सौ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।
4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
6. उक्त स्वीकृत ₹59.69900 लाख (उनसठ लाख उनहत्तर हजार नौ सौ रु०) मात्र की राशि की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष, 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0109-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2217011910109, विषय शीर्ष 0109.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।
7. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-
 - (i) योजनाओं का कार्यान्वयन नगर निगम, पटना द्वारा किया जायेगा।
 - (ii) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।
 - (iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
 - (iv) योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।
 - (v) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

3

8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/सड़क-09-04/2018 के पृष्ठ सं०-22...../टि० पर दिनांक- 21/06/2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-22...../टि० पर दिनांक- 30/06/2018 को प्राप्त है।
11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-04/2018 14 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-30/06/18

प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।